

सं-झाकेवि/रा.प्र./रा.प्र.पु./01/2025/684

दिनांक: 20 जून, 2025

कार्यालय आदेश/Office Order

1. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन हेतु हिंदी का अधिकतम उपयोग तथा संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-26 का प्रावधान किया जा रहा है।

उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दो भागों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2. राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार (2025-26) हेतु नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

क. नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	पुरस्कार	क्षेत्र		राशि
		क	ख एवं ग	
		संख्या	संख्या	
1.	प्रथम	1	1	रु 5000/-
2.	द्वितीय	2	1	रु 3000/- (प्रत्येक)
3.	तृतीय	3	2	रु 2000/- (प्रत्येक)

ख. समीक्षा अवधि- 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026

ग. राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-26 हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम शब्द सीमा

- i. “क” क्षेत्र के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकगण हेतु न्यूनतम 10,000 शब्दों में हिंदी भाषा में नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेज
- ii. “ख एवं ग” क्षेत्र के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकगण हेतु न्यूनतम 5,000 शब्दों में हिंदी भाषा में नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेज

3. यह आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

मधुराणी श्रीवास्तव
हिंदी अधिकारी 20/6/25

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. तकनीकी कक्ष – विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित फाइल
6. सूचना पट्ट